

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com

भोपाल, बुधवार 23 सितंबर 2026 | वर्ष-08, अंक-308, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए

Website: www.eksatbulletin.in

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेंगलुरु में टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) ग्वालियर में निवेश के लिए निवेशकों से किया संवाद

डिजाइन इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के संकल्प को साकार करना है लक्ष्य

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश आधुनिक तकनीक और निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य है। देश के हृदय स्थल में स्थित मध्यप्रदेश को अपने केंद्रीय भौगोलिक स्थान, मजबूत बुनियादी ढांचे और सरप्लस बिजली का अभूतपूर्व लाभ प्राप्त है।

राज्य में उद्योग अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि विगत पौने तीन वर्षों में लगभग सभी सेक्टरों में 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश राज्य की धरती पर उतर चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात बेंगलुरु में ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) में निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित राउंड टेबल बैठक में निवेशकों से संवाद के दौरान कही।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समय को सही अवसर पर पहचान कर निर्णय लेना ही एक सफल उद्यमी की पहचान है। दिल्ली और मुंबई के रोड-शो में निवेशकों से मिले सकारात्मक प्रतिसाद से स्पष्ट है

कि उद्योग जगत का भरोसा मध्यप्रदेश पर निरंतर मजबूत हुआ है। निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश में निवेश करने का यही सही समय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय संचार मंत्री श्री

ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश शासन ने मिलकर टेलीकॉम सेक्टर में एक नया और ऐतिहासिक मॉडल स्थापित किया है। ग्वालियर में बन रहा टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग जोन इसी साझी सोच का प्रतिफल है।

उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में भूमि सीमित है, इसलिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आने वाले निवेशकों को विशेष लाभ मिलेगा, जबकि आगामी चरणों में नियम व शर्तें भिन्न होंगी। इस औद्योगिक पार्क में एक ही स्थान पर डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट, मैनुफैक्चरिंग से लेकर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से लेकर एक्सपोर्ट तक की पूरी वैल्यू चेन का निर्माण होगा। यहां सिम से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के उपकरण, 5-जी और 6-जी के उपकरण, ऑप्टिकल फायबर और आईओटी से जुड़े उत्पाद बनाए जाएंगे।

घोषणा के साथ ही बुक हो जाते हैं मध्यप्रदेश के औद्योगिक पार्क

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य के औद्योगिक पार्कों की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि धार में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मोत्सव 2025 पर 2,000 एकड़ के पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का भूमिपूजन हुआ था और उसी दौरान पार्क का एक-एक प्लॉट बुक हो गया।

इसी प्रकार मोहासा-बाबई में नवकरणीय ऊर्जा उपकरण पार्क पहले, दूसरे और तीसरे चरण पूरी तरह बुक होने के बाद अब चौथे चरण पर कार्य शुरू हो चुका है। पीथमपुर, अवंतिका और विक्रम उद्योगपुरी जैसे क्षेत्रों में भी निवेशकों का भारी विश्वास देखने को मिला है।

ट्रम्प की ईरान को धमकी-समझौता करो वरना तबाह कर देंगे

7 महीने में 10 से ज्यादा धमकियां दीं, हर बार पलटते



न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान को एक बार फिर से तबाह करने की धमकी दी है। मंगलवार को UN में अपने भाषण में उन्होंने कहा- अमेरिका के पास दो रास्ते हैं- ईरान के साथ समझौता करना या उसे खत्म कर देना। अमेरिका-

ईरान जंग शुरू होने के बाद से ट्रम्प पिछले 7 महीने में 10 से ज्यादा बार ईरान को तबाह करने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें पलटकर बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा।

66% अमेरिकी जनता ट्रम्प से नाराज

रॉयटर्स/इप्सोस के सर्वे के मुताबिक, ईरान पर हमला करने से 66% अमेरिकन ट्रम्प से नाराज हैं। सिर्फ 34% लोग ही ट्रम्प के सपोर्ट में हैं। 3 नवंबर को अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन हैं। ट्रम्प नहीं चाहते कि उनकी पार्टी को नुकसान हो। इसी वजह से वो ईरान युद्ध को अब अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं।

ट्रम्प की पार्टी के लोग युद्ध से दूरी बना रहे

मिडटर्म चुनाव से पहले कुछ रिपब्लिकन उम्मीदवार अब ईरान युद्ध जल्द खत्म करने की बात कर रहे हैं। वजह है ईंधन की बढ़ती कीमत और युद्ध को लेकर मतदाताओं की नाराजगी। ऐसे में ट्रम्प की कड़ी चेतावनी अपनी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को भी एकजुट रखने का संदेश हो सकती है।

हूती के हमलों से अरब देश परेशान

ईरान के समर्थन वाले हूती लड़ाके लगातार सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। हूती लाल सागर और बाब-अल-मंदेब के आसपास भी एक्टिव हैं। यह रास्ता एशिया और यूरोप के बीच तेल और सामान पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। ईरान पर अमेरिकी दबाव बढ़ा तो हूती के हमले और बढ़ सकते हैं। इससे जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा और तेल-सामान महंगा हो सकता है। ट्रम्प नहीं चाहते कि हूती अरब देशों और अमेरिकी सहयोगियों पर हमले बढ़ाएं।

राज्यसभा की 12 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोटिंग

बंगाल-उत्तराखंड में 1-1 और यूपी की 10 सीटें

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया। इनमें उत्तर प्रदेश की 10, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट शामिल हैं। 16 अक्टूबर को वोटिंग और काउंटिंग कराई जाएगी। अक्टूबर में होने वाले चुनाव 10 सीटों पर सांसदों के कार्यकाल खत्म होने के बाद हो रहे हैं। जबकि यूपी और बंगाल में एक-एक सीट सांसदों के इस्तीफा देने से खाली हुई है। यूपी में सांसद दिनेश शर्मा ने 11 सितंबर को इस्तीफा दिया, उन्हें अंडमान और निकोबार का LG बनाया गया है। बंगाल में TMC सांसद कोयल मल्लिक ने इस्तीफा दिया था। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिनमें 242 सीटें भरी हुई हैं और 3 खाली हैं। मौजूदा पार्टी स्थिति में BJP के पास 116 सांसद हैं। उत्तर प्रदेश से जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। इनके अलावा BJP नेता अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बीएल वर्मा और सीमा द्विवेदी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है।

सपा नेता राम गोपाल यादव और BSP के इकलौते राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। यह सीट सपा के पास जाने की पूरी संभावना है। राज्यसभा में BJP की एक सीट बढ़ने की संभावना है। यह सीट TMC में रहें कोयल मल्लिक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में सत्ता से बाहर होने से पहले सदन में भेजा था। जुलाई 2026 में खाली हुई तीन TMC सीटों के उपचुनाव के बाद BJP के 3 नए सदस्य चुने गए, जिससे बंगाल से BJP सांसदों की संख्या 5 हो गई। उत्तराखंड में BJP सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्य में BJP सत्ता में है और विधानसभा में उसके पास बहुमत है।

डॉक्टर साहब,
आप तुरंत इलाज शुरू करिए...
पैसों की चिंता मत करिएक्योंकि अब हमारे साथ है
आयुष्मान भारत का भरोसा

- 60+ करोड़ ज़रूरतमंदों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज
- 70+ आयु के 6 करोड़ बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत की सुविधा
- लाभार्थियों को ₹2 लाख करोड़ की सीधी बचत हुई
- 13+ करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन

देशभर में 38,000 से अधिक
अस्पतालों में इलाज की सुविधा1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में
60+ जाँच और 150+ दवाइयां फ्रीलाभार्थी को अपने राज्य से बाहर भी देश
के किसी भी हिस्से में इलाज की सुविधाकैंसर, हार्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी
गंभीर बीमारियों के लिए भी 100% कवरेजआयुष्मान भारत के 8 साल
मुफ्त उपचार, स्वस्थ परिवार

अपनी पात्रता अभी जांचें:

Ayushman App | beneficiary.nha.gov.in

टोल-फ्री 14555

CBC-17180/13/0009/2627

[1991 के केस की जानकारी नहीं देने का आरोप](#)

उपचुनाव जीतने के बाद घनश्याम सिंह की विधायकी को चुनौती, कोर्ट पहुंचा मामला

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

दतिया उपचुनाव के बाद एक बार फिर विधानसभा सीट चर्चा में है। कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के खिलाफ चुनावी शपथ पत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी कथित तौर पर छिपाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता दीपक बेलपत्री ने अधिवक्ता शिवम गौतम के माध्यम से 17 सितंबर को दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि घनश्याम सिंह ने उपचुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में दो आपराधिक मामलों की जानकारी दी, लेकिन 1991 में दर्ज एक अन्य झड़कूका उल्लेख नहीं किया। यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में हुए चक्काजाम से जुड़ा बताया गया है। याचिका के मुताबिक उस दौरान करीब 22 लोगों के खिलाफ झड़कूदर्ज हुई थी और उनमें घनश्याम सिंह का नाम भी शामिल था। घनश्याम सिंह ने 30 जुलाई को हुए दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों से हराया था। उन्हें 66,757 और तिवारी को 60,741 वोट मिले थे। फिलहाल घनश्याम सिंह दतिया से विधायक हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका में शपथपत्र में कथित



तौर पर जानकारी छिपाने के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई और अदालत के फैसले के बाद ही यह तय होगा कि आरोपों का कानूनी आधार क्या है और इसका उनकी विधानसभा सदस्यता पर कोई असर पड़ता है या नहीं। मौजूदा स्थिति में यह कहना जल्दबाजी होगी कि दतिया सीट पर दोबारा उपचुनाव होगा। दतिया में इससे पहले 30 जुलाई को उपचुनाव हुआ था। यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई थी। भारती की सदस्यता दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद

गई थी। दतिया सीट इससे पहले भी उपचुनाव के दौरान चर्चा में रही थी। भाजपा ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया।

उपचुनाव में घनश्याम सिंह ने आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराया। अब घनश्याम सिंह के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने से यह सीट फिर सुर्खियों में है। याचिका में चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है।



■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

जबलपुर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जबलपुर रेंज के आईजी को वारंट तामील कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही एसपी को 1 अक्टूबर 2026 को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। मामला एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के निधन के बाद विभाग द्वारा की गई रिकवरी से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट के रिकवरी पर रोक लगाने और राशि लौटाने के आदेश के बावजूद उसका पालन नहीं किया गया।

पति की मौत के बाद 2.24 लाख रुपए की रिकवरी

जबलपुर निवासी सीता तिवारी ने अधिवक्ता सचिन पांडे के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार उनके पति संतोष तिवारी छिंदवाड़ा में पुलिस विभाग में पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान 14 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। इसके बाद विभाग ने उनके खिलाफ 2.24 लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी। मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक जैन की कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने रिकवरी का आदेश

निरस्त करते हुए राशि 8 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया था। 2025 में जारी हुआ था अवमानना नोटिस सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2025 में अवमानना नोटिस जारी होने के बाद भी आदेश के पालन की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। नोटिस मिलने और आवश्यक मंजूरी के संबंध में जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद भी आदेश के पालन की कार्रवाई नहीं हुई। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 1 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म व मारपीट के आरोपी को नहीं मिली जमानत

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

जबलपुर जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने विवाह का झांसा देकर युवती को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म और मारपीट करने के मामले में आरोपी बनाए गए जबलपुर निवासी आकाश काछी को राहत देने से इंकार करते हुए आरोपित का नियमित जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार अदालत थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपित ने पीड़िता को विवाह का झांसा देकर अपने साथ ले गया और सुहाग्री व हरियाणा में रखकर उसका शारीरिक शोषण व मारपीट की। इस मामले में शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 व 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया। मामलों में जमानत का लाभ लेने आरोपित की ओर से जमानत आवेदन अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक



अभियोजक संजय वर्मा व पीड़िता की ओर से अधिवक्ता विवेक तिवारी ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अपराध की गंभीरता, विवेचना लंबित होने व पीड़िता और उसके स्वजनों को प्रभावित किए जाने की आशंका बताई। इस दौरान बचाव पक्ष ने आरोपित के पूर्व विवाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता और उनका प्रभाव विचारण के दौरान साक्ष्यों के आधार पर तय होगा। प्रकरण की परिस्थितियों और साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका को देखते हुए अदालत ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

यूक्रेन युद्ध में छूटी पढ़ाई, अब हाईकोर्ट से आस: छात्र की याचिका पर कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य को अंतिम अवसर

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन से भारत लौटे भोपाल के एक मेडिकल छात्र की एमबीबीएस की अधूरी पढ़ाई पूरी कराने से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कड़ा जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक रूसिया की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित की है। भोपाल के कोटारा सुल्तानाबाद निवासी छात्र अनूप पचौरी ने हाईकोर्ट



में याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2021 में नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यूक्रेन की हॉरबाचेव्स्की टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। उन्हें 14 जून 2021 को आमंत्रण मिला और 11 अक्टूबर 2021 को वीजा जारी होने के बाद, उन्होंने 3 नवंबर 2021

को फीस जमा कर 7 नवंबर से यूक्रेन में पढ़ाई शुरू कर दी थी। याचिका में बताया गया है कि जब उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही थी, तभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में भारत लौटना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की, लेकिन स्थितियां जटिल होती गईं। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह न तो अपनी मेडिकल शिक्षा किसी अन्य देश में स्थानांतरित करवा पा रहा है और न ही भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने का कोई स्पष्ट मार्ग मिल पा रहा है।



ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान पीएम कुसुम योजना, सोलर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अधिकारियों एवं अभियंताओं के लिए पीएम कुसुम, सोलर थर्मल एवं नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम होटल सत्यम अशोका, जबलपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन मर्कांडेस एनर्जी मार्केटिंग इंडिया के प्रैक्टिस हेड एवं सीओओ श्री रमनदीप सिंह, पार्टनर श्री मोहित भारद्वाज एवं निदेशक श्री सिद्धार्थ घोष के मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण में पूर्व क्षेत्र कंपनी के कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं

प्रशिक्षण के दौरान पूर्व क्षेत्र कंपनी में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, संचालन, बिलिंग एवं ग्रिड एकीकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवादात्मक चर्चा हुई। उपस्थित अभियंताओं ने तकनीकी एवं परिचालन संबंधी प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी उपयोग एवं विद्युत वितरण व्यवस्था में इसके बेहतर एकीकरण से उनके समाधान पर विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

[टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत मामले में केंद्र और एनटीसीए से जवाब - तलब](#)

वैकसीनेशन और रिक्त पदों की जानकारी व 10 साल में बाघ संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश को मिली राशि का ब्योरा पेश करने के निर्देश

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायाधीश बीपी शर्मा की संयुक्तपीठ ने प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले में केंद्र सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) से जवाब तलब किया है। संयुक्तपीठ ने टाइगर रिजर्व में बाघों को संक्रमण से बचाने के लिए किए जा रहे वैकसीनेशन, वन्यजीव चिकित्सा व्यवस्था तथा रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी बताने को कहा है कि पिछले 10 वर्षों में मध्यप्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई। एनटीसीए को भी प्रदेश के टाइगर रिजर्व के लिए जारी



राशि का वर्षवार ब्योरा प्रस्तुत करना है। न्यायालय ने मामले में इससे पहले 19 अगस्त की सुनवाई में एनटीसीए को दस वर्ष का फंडसंबंधी डाटा पेश करने के निर्देश दिए थे। प्रकरण पर सुनवाई के दौरान टाइगर रिजर्व में संक्रमण की रोकथाम का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। इस दौरान विशेषकर कान्हा टाइगर रिजर्व में केनाइन डिस्टेंडर वायरस (सीडीवी) की आशंका के

बीच बाघों की मौत के बाद कुत्तों के वैकसीनेशन और रोग निगरानी को महत्वपूर्ण माना गया। एनटीसीए ने भी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास कुत्तों के नियमित टीकाकरण तथा वन्यजीवों की स्वास्थ्य निगरानी मजबूत करने की सलाह दी है। एकलपीठ ने प्रदेश के टाइगर रिजर्व में वन्यजीव पशु चिकित्सकों समेत आवश्यक पदों की स्थिति और उन्हें भरने के संबंध में भी जवाब मांगा है। याचिका में बाघों की मौत रोकने के लिए वैज्ञानिक निगरानी, रोग नियंत्रण और एनटीसीए के निर्धारित प्रोटोकाल के पालन का मुद्दा उठाया गया है। गौरतलब हो कि कान्हा टाइगर रिजर्व में अप्रैल-मई 2026 के दौरान लगातार कई बाघों की मौत के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।

[2011 में सवा पांच किलो से हुई थी शुरुआत, अब वजन हुआ 41 किलो](#)

गणेश उत्सव विशेष-पुलिस के पहरे में विराजित बप्पा, 41 किलो चांदी से हुआ अलंकृत

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

पुलिस के कड़े पहरे के बीच जबलपुर में स्थापित 41 किलोग्राम शुद्ध चांदी से बनी गणेश जी की प्रतिमा इस बार गणेश उत्सव का मुख्य आकर्षण बनी हुई है। ग्वारीघाट के ललपुर रोड स्थित श्री सिद्ध गणेश धाम में स्थापित इस भव्य प्रतिमा की अनोखी परंपरा और शहर के अन्य पंडालों में चल रहे विशेष आयोजनों ने उत्सव के उल्लास को और बढ़ा दिया है। 2011 में सवा पांच किलो से हुई थी शुरुआत, अब वजन हुआ 41 किलो ग्वारीघाट के ललपुर रोड स्थित श्री सिद्ध

गणेश धाम के संस्थापक महंत स्वामी प्रमोद महाराज के अनुसार, वर्ष 2011 में सवा पांच किलो चांदी से इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। मान्यता है कि भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने पर वे चांदी दान करते हैं, जिससे हर साल बप्पा की प्रतिमा का स्वरूप और वजन बढ़ाया जाता है। वर्तमान में इस दिव्य प्रतिमा का कुल वजन 41 किलो 100 ग्राम शुद्ध चांदी हो चुका है। मंदिर में अब तक हजारों मनोकामना अर्जियां भी लग चुकी हैं। अल्पायु और बहुमूल्य चांदी की इस विशाल प्रतिमा की सुरक्षा के लिए ग्वारीघाट थाने से चार पुलिसकर्मी



चौबीस घंटे तैनात रहते हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी पैनी नजर रखी जाती है। उत्सव के दौरान 14 तारीख से

लगातार सहस्त्रार्चन, अथर्वशीर्ष पाठ से महाभिषेक, मंगला आरती और महाआरती का आयोजन हो रहा है। अनंत

चतुर्दशी या विसर्जन के दिन पूजा-विधि के बाद प्रतिमा को कुंड में आवाहन मुक्त कर पुनः गर्भगृह में सुरक्षित रख दिया जाता है। शिव स्वरूप में बप्पा और अनोखी परंपराएं शहर के अन्य हिस्सों में भी गणेश उत्सव की पुरानी और अनूठी परंपराएं देखने को मिल रही हैं: शिव स्वरूप बप्पा: एकदंत गणेश उत्सव समिति ने बप्पा को शिव स्वरूप में स्थापित किया है, जिनकी सूंड में माता महाकाली विराजमान हैं। यहां 23 तारीख को महाआरती और 24 को हवन-भंडारे का अनुष्ठान होगा। सदर के 60 साल पुराने पावन आयोजन: सदर के आजाद

चौक में दुर्गा और गणेश सेवा मंडल पिछले 60 वर्षों से सामूहिक सहभागिता से उत्सव मना रहा है। वहीं, सदर की गली नंबर 11 में श्री शिव गणेश उत्सव समिति 38 सालों से बप्पा की स्थापना कर रही है, जहां के अधिकांश लोग फुटबॉल खेल से जुड़े हैं। महानदा के 'राजा' और मावली फेटा: महानदा तालाब के पास मां नर्मदा गणेश उत्सव समिति द्वारा पिछले 13 सालों से विराजा जा रहे बप्पा को पारंपरिक मावली फेटा (पगड़ी) पहनाया गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे की याद दिलाता है।

मंत्री भूरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को दिए जनभागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों पर गूँजेगा ‘सेवा, पोषण और सम्मान’ का संकल्प

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को केवल शासकीय सेवाओं के वितरण स्थल के रूप में नहीं, बल्कि सेवा, पोषण, सीखने, सहभागिता और सम्मान के जीवंत केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी ‘आंगन मिलन सेवा’ अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी 97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों पर तीन दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने मंगलवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

प्रदेश के अधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हर आंगनवाड़ी बने सेवा, पोषण और सम्मान का केंद्र मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि ‘आंगन मिलन सेवा’ को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे समुदाय और आंगनवाड़ी के बीच मजबूत जुड़ाव का माध्यम बनाया जाए। अभियान का मूल उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, माताओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा अन्य हितग्राहियों तक पोषण, स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं की नियमित एवं

प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए, जिसमें सेवा के साथ सम्मान और जनभागीदारी भी दिखाई दे। माताओं-बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और संवाद पर विशेष फोकस अभियान के प्रथम दिवस बाल स्वास्थ्य और आनंदमयी गतिविधियों पर विशेष जोर रहेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों पर वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की गतिविधियां, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के संदेशों का वाचन तथा डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ता का सम्मान भी



किया जाएगा। इसके साथ ही 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की माताओं, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा महिला हितग्राहियों से संवाद होगा। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

गर्भावस्था एवं प्रसवोत्तर देखभाल, संतुलित आहार, एनीमिया, स्तनपान और शिशु देखभाल जैसे विषयों पर पोषण संवाद आयोजित होंगे। बच्चों को फल एवं मिठाई का वितरण भी किया जाएगा। ‘मेरी कहानी, मेरी सफलता’ बताएगी योजनाओं के

प्रभाव की कहानी अभियान के द्वितीय दिवस को ‘मेरी कहानी, मेरी सफलता’ की थीम पर लाभार्थी संवाद आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं और परिवारों के अनुभव सामने लाए जाएंगे। लाभार्थी माताओं को अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को साझा करने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, टेक होम राशन, गर्म पका भोजन, पोषण सेवाओं सहित महिला एवं बाल कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी सरल एवं बोलचाल की भाषा में दी जाएगी। जनप्रतिनिधियों

की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधिगण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों की शोभा बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, विभागीय अमले और समुदाय की सहभागिता से अभियान को व्यापक जन-अभियान का स्वरूप दिया जाए।

एलिवेटेड कॉरीडोर पर रैन वाटर हार्वैस्टिंग के लिए अभी से करें इंतजाम

बैरागढ़ एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण मार्च 2027 तक हर हाल में पूर्ण करें : लोक निर्माण मंत्री

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने मंगलवार को विधायक श्री रामेश्वर शर्मा के साथ बैरागढ़ में निर्माणाधीन एलिवेटेड ब्रिज का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे निर्माणाधीन मार्ग का भ्रमण कर कार्य की भौतिक प्रगति, गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था, सर्विस रोड, तथा नागरिकों के आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री श्री सिंह ने निर्माण कार्य की धीमी प्रगति और कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना विभाग तथा निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मंत्री श्री सिंह ने सभी कमियों और अव्यवस्थाओं को 3 दिवस के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में बरती गई लापरवाही और विलंब के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार पेनाल्टी लगाने को कहा। साथ ही बंद अथवा अव्यवस्थित स्ट्रीट



लाइटों को चालू करने और निर्माण स्थल पर सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंह ने सर्विस रोड की खराब स्थिति को देखकर इसे शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य ब्रिज का निर्माण पूरा होने तक सर्विस रोड ही नागरिकों के आवागमन का प्रमुख माध्यम है, इसलिए इसे सुरक्षित और सुगम बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सिविल अस्पताल के आसपास की अव्यवस्थाओं को तत्काल सुधारने तथा मरीजों, एम्बुलेंस और आम नागरिकों के निर्बाध एवं

सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंह ने अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब ब्रिज का संपूर्ण निर्माण कार्य मार्च 2027 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। इस समय-सीमा में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्य की माइक्रो प्लानिंग करने की भी निर्देश दिए जिसमें पर्ट चार्ट के आधार पर एक्टिविटी प्लान बनाने और इसके आधार पर साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता निर्माण कार्य की प्रत्येक सप्ताह

समीक्षा करेंगे। कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन प्रत्येक 15 दिवस में मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि संत हिरदाराम नगर का यह मुख्य मार्ग अत्यधिक यातायात घनत्व वाला क्षेत्र है। ऐसे में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही से गंभीर दुर्घटना की संभावना हो सकती है। उन्होंने निर्माण एजेंसी को सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात को निर्बाध बनाए रखने के लिए केवल उसी स्थान पर सेफ्टी बैरियर लगाए जाएं, जहां वास्तविक रूप से निर्माण कार्य चल रहा है। जिन स्थानों पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, वहां से अनावश्यक बैरियर तत्काल हटाए जाएं, ताकि यातायात सुचारु रूप से संचालित हो सके। उन्होंने निर्माण स्थल से मलबा एवं अन्य अपशिष्ट निर्माण सामग्री तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के कारण स्थानीय व्यापारियों एवं रहवासियों को होने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए।

जबेरा-तेंदूखेड़ा क्षेत्र के 5 प्राचीन स्थल राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल मंत्री लोधी

■ एक सत बुलेटिन, दमोह।

जबेरा से विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि जबेरा-तेंदूखेड़ा क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा क्षेत्र की पांच महत्वपूर्ण प्राचीन एवं ऐतिहासिक धरोहरों को राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम दिए। मंडा मंदिर, ग्राम दौनी, तहसील तेंदूखेड़ा, सूर्य मंदिर, ग्राम मोहड़, तहसील तेंदूखेड़ा, मंडा मंदिर, ग्राम बड़दुवा, तहसील जबेरा, श्री राम-जानकी मंदिर, ग्राम पुंवार, तहसील जबेरा, वंशीपुर मठ, जबेरा राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किए गए हैं। मंत्री श्री लोधी ने कहा कि इन प्राचीन स्थलों को राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किए जाने से इनके समुचित संरक्षण, संवर्धन एवं ऐतिहासिक स्वरूप को



सुरक्षित रखने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। दमोह जिला सदियों पुरानी सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं का केंद्र रहा है। इन धरोहरों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देने में सहायक होगा। क्षेत्रवासियों ने भी इस महत्वपूर्ण पहल पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

अलसुबह दी दबिश, 14200 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद, 12 भट्टियां नष्ट, 2 बाॅयलर और 71 इम जब्त

■ एक सत बुलेटिन, बैरसिया।

अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के खिलाफ भोपाल देहात पुलिस एवं आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए तरावली डेरे में अलसुबह दबिश दी। कार्रवाई के दौरान अलग-अलग डेरों में बने एवं खाली पड़े मकानों की तलाशी लेकर करीब 14,200 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। मौके से 71 इम, 12 अवैध शराब की भट्टियां तथा 2 बाॅयलर भी बरामद किए गए। शेष अवैध शराब को नियमानुसार मौके पर ही नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक भोपाल (देहात) पंकज कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सोनकर, एसडीओपी बैरसिया सुश्री वेशाली कराहलिया एवं सहायक



जिला आबकारी अधिकारी वर्षा उड्के के नेतृत्व में यह संयुक्त कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर 2026 को मुखविर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने तरावली डेरे में अलसुबह दबिश दी। कार्रवाई की भनक लगते ही मौके पर मौजूद कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद टीम ने अलग-अलग डेरों में खुले एवं खाली पड़े मकानों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महुआ शराब से भरे

71 ड्रमों में करीब 14,200 लीटर अवैध महुआ शराब मिली। कार्रवाई के दौरान आवश्यक मात्रा को जब्त कर शेष अवैध शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया। जमीन के अंदर अवैध रूप से महुआ शराब तैयार करने के लिए बनाई गई 12 भट्टियां भी मिलीं, जिन्हें नष्ट किया गया। शराब निर्माण में प्रयुक्त 2 बाॅयलर जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री के संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अवधपुरी स्थित आदर्श विहार, रीगल टाउन, सरला स्टेट, न्यू फोर्ट कॉलोनी एवं कचन नगर में सड़कों की स्थिति तथा मूलभूत नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मार्गों की जर्जर स्थिति, स्थान-स्थान पर उभरे गड्ढे एवं खुले सीवेज नेटवर्क को देखकर राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कार्यपालक एजेंसियों एवं ठेकेदारों की शिथिलता पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के कड़े निर्देश



दिए। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को नहीं भुगतने दिया जाएगा। आगामी पवों एवं त्योहारों के दृष्टिगत नागरिकों को सुगम, सुरक्षित एवं बाधा रहित आवागमन उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने

वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों के गड्ढों का भराव कार्य तत्काल एवं पूर्ण मजबूती के साथ कराने के निर्देश दिए। साथ ही राखस्व एवं नगर निगम दल को सीमांकन कर सड़कों पर व्याप्त अतिक्रमण अविलंब हटाने तथा आवश्यकतानुसार मार्ग चौड़ाकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि दिन के समय

आमजन की आवाजाही एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्य मुख्य रूप से रात्रिकालीन समय में निष्पादित किए जाएं। क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने के संबंध में राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बंद पड़ी समस्त स्ट्रीट लाइटों को आगामी 10 दिवस की निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से चालू करने के निर्देश दिए। उन्होंने रहवासी क्षेत्र में नियमों के विपरीत संचालित गोंदाम को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर सीलिंग की कठोर कार्यवाही करने के भी आदेश दिए। रहवासियों से संवाद करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि मानसून पश्चात क्षतिग्रस्त मार्गों के स्थाई एवं गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा।

भोपाल मंडल के कोचिंग डिपो एवं रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता जागरूकता और निरीक्षण गतिविधियां आयोजित

स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत भोपाल मंडल में गतिविधियां

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के अंतर्गत भोपाल मंडल में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज विभिन्न रेलवे स्टेशनों एवं कोचिंग डिपो में विशेष गतिविधियां आयोजित की गईं। अभियान के दौरान रेल परिसरों, ट्रेनों एवं यात्री सुविधाओं में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। अभियान के अंतर्गत यांत्रिक विभाग द्वारा भोपाल मंडल के सभी कोचिंग डिपो में प्राथमिक ट्रेनों की स्वच्छता व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वच्छ रेलगाड़ी अभियान, सफाई मशीनों एवं उपकरणों की कार्यशीलता, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), शौचालयों, कोच के अंदर एवं बाहरी हिस्सों की सफाई, लिनेन तथा पेट्रो की स्वच्छता की जांच की गई। सफाई कार्य



में उपयोग होने वाली मशीनों एवं उपकरणों की कार्यशीलता की भी जांच की गई तथा आवश्यकतानुसार सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के अंतर्गत बीना रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय

विद्यालय, बीना के विद्यार्थियों द्वारा नुककड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों ने अपने प्रभावी अभिनय एवं संदेश के माध्यम से यात्रियों को रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने तथा कचरा निर्धारित स्थान पर डालने के लिए जागरूक किया।



नुककड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और ‘स्वच्छ रेल-स्वच्छ परिसर’ के संकल्प में सहभागी बनने का संदेश दिया गया। यात्रियों ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना की। भोपाल स्टेशन के यार्ड में सफाई कार्य में उपयोग की जा रही विभिन्न मशीनों एवं उपकरणों की कार्यशीलता की जांच की गई तथा मशीनों से संबंधित सफाई कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि स्वच्छता कार्य में उपयोग होने वाले उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं तथा आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हैं। भोपाल मंडल द्वारा ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के माध्यम से स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ स्टेशन और स्वच्छ रेल परिसर के उद्देश्य को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

संपादकीय जो आयोग चाहे, वो वोटर

करीब 98 वर्षीय लालकृष्ण आडवाणी देश के उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री रहे हैं। वह नई दिल्ली से लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। उन्हें, बेटी प्रतिभा और बहू को मतदाता सूची में शामिल करने पर सवाल हैं, लिहाजा उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। देश के मौजूदा विदेश मंत्री एस. जयशंकर, उनकी जापानी पत्नी और विदेश सचिव विक्रम मिसरी को भी नोटिस भेजे गए हैं। दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के मतदाता होने पर भी चुनाव आयोग को संदेह है। बहरहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मामला किसी तरह निपटा लिया गया है, लेकिन केजरीवाल, उनके 85 वर्षीय माता-पिता, उनकी आईआरएस रहीं और सरकारी पेंशनधारी पत्नी और बेटे के दिल्ली में मतदाता होने पर आयोग के सवाल हैं, लिहाजा उन्हें नोटिस के जवाब देने ही पड़ेंगे। देश के कानून मंत्री रहे, चांदनी चौक के पूर्व सांसद, मौजूदा रायसभा सांसद एवं सर्वोच्च अदालत के प्रख्यात अधिवक्ता कपिल सिब्बल के मतदाता होने पर आयोग को क्या अपत्तियां हैं, कमोबेश हमारी समझ के बाहर है। यहां तक कि मौजूदा चुनाव आयुक्त एसएस संधू, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के समकक्ष ही हैं, को भी नोटिस भेजा गया है कि उनके नाम की स्पेलिंग (वर्तनी) 2002 के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती, लिहाजा वह स्पष्ट करें। बेहद हास्यास्पद है कि सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद, थलसेना प्रमुख रहे जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश रहीं जस्टिस रंजना देसाई, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला आदि अति विशिष्ट चेहरों को भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेजे हैं, तो आम मतदाता की कराहें, चीखें, गुहार कौन सुनेगा? कैग प्रमुख के. संजय मूर्ति के माता-पिता के नाम भी नहीं हैं। बेशक चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हमारा पक्का यकीन है कि अंततः इन सभी नामों को दिल्ली की मतदाता-सूची में जोड़ा जाएगा। क्या चुनाव आयोग अपनी नालायकी पर माफी मांगेगा?

दरअसल हमारा बुनियादी और गंभीर सवाल

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के प्रारूप पर है। यह अभियान चलाने वाले अधिकारियों की मेधा, सामान्य बुद्धि, पर भी तरस आता है। ज्ञानेश कुमार भी सामूहिक तौर पर खलनायक हैं। क्या संविधान के अनुच्छेद 324 और 325 में चुनाव आयोग को यही विशेष शक्तियां दी गई हैं कि मतदाता वही होगा, जिसे चुनाव आयोग चाहेगा? लेकिन अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान भी है कि देश का प्रत्येक 18 वर्षीय वयस्क नागरिक अधिकृत मतदाता होगा। यह मताधिकार क्यों छीना जा रहा है? एसआईआर के तहत करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम अभी तक काटे जा चुके हैं। उनके अलग-अलग कारण हो सकते हैं। लोग दिवंगत भी हुए होंगे, तो नए मतदाता भी जुड़े होंगे! मताधिकार गंवाने वालों की यह कोई सामान्य संख्या नहीं है और एसआईआर अभी जारी है। यह सवाल लगातार अनुत्तरित क्यों है कि आयोग काटे गए नामों का खुलासा, वर्गीकरण समेत, सर्वोच्च अदालत को दे और वहां से देश को अवगत कराया जाए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता संविधान के भी सुप्रीम नहीं हैं। संविधान के तहत ही उन्हें इस पद का दायित्व और विशेषाधिकार दिए गए हैं। दरअसल हमने जिन अति विशिष्ट चेहरों का उल्लेख किया है, उन्हें निर्वाचित भी घोषित किया जा चुका है और यह काम आयोग ने ही किया और ये लोग दशकों से मतदाता भी रहे हैं।

आडवाणी और केजरीवाल के माता-पिता की जो उम्र है, उसके मुताबिक वे 60-70 साल से मतदान कर रहे होंगे, अचानक उस पर सवाल किए जा रहे हैं! क्या अब मतदाता की परिभाषा बदल गई है और वे 2002 की मतदाता-सूची के आधार पर ही तय किए जाएंगे? यह कोई ब्रह्म-ग्रंथ है क्या? यह पुनरीक्षण उसी आधार पर किया जाना चाहिए, जो मतदाता ने फॉर्म भरा है। मतदाता ही अपने बारे में ब्यौरा देने को स्वतंत्र और अधिकृत है। 2002 में कोई गलती रह गई होगी, तो उसके आधार पर आप किसी का मताधिकार छीन लेंगे? माता-पिता का नाम देने की स्वतंत्रता भी मतदाता की होनी चाहिए और उनका मिलान करना ही गलत है।

पहाड़ सब सह लेगा यह भ्रम तोड़ना होगा

कुमार रोहित



20 सितंबर का विश्व क्लीनअप दिवस पहाड़ों में बढ़ते कचरे की चुनौती की याद दिलाता है, जबकि 27 सितंबर का विश्व पर्यटन दिवस उस अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान खींचता है, जिसकी हिमाचल में बड़ी भूमिका है। सवाल यह है कि पर्यटन बढ़े, लेकिन उसकी कीमत पहाड़ को न चुकानी पड़े। हिमाचल की रीढ़ कहे जाने वाला पर्यटन ही यहां लाखों लोगों के रोजगार और कमाई का मुख्य सहारा है।



पर्यटन स्थलों का प्लास्टिक और कचरा नदियों, खड्डों और खेतों तक पहुंचता है। इसलिए सड़क, होटल और पर्यटकों की संख्या तय करते समय कचरा प्रबंधन की क्षमता भी देखनी होगी। जरूरी है कि जलस्रोतों पर कब्जा रोका जाए, संवेदनशील ढलानों की पहचान हो, मलबा फेंकने के नियम सख्ती से लागू हों और नदी-खड्डों का प्राकृतिक दायरा सुरक्षित रखा जाए। पंचायतों और स्थानीय समुदायों को निगरानी में असली भूमिका मिले, क्योंकि पहाड़ की नब्ज वही बेहतर समझता है जो पीढ़ियों से उसके साथ जी रहा है। पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर जब हिमाचल के पहाड़ों, जंगलों और नदियों की चिंता सामने रखी थी, तब सवाल पर्यावरण बचाने का था। मानसून बीतते-बीतते वही सवाल और सख्त हो गया है- क्या पहाड़ों को बचाए बिना हम विकास की रफ्तार बनाए रख सकते हैं? इस साल की आपदाओं ने एक कड़वा सच फिर उजागर किया है- पहाड़ों पर बारिश पहले भी होती थी, पर हर भारी बारिश तबाही नहीं बनती थी। तेज बारिश और बदलता मौसम जोखिम बढ़ाते हैं, लेकिन वही जोखिम आपदा का रूप लेगा या नहीं, यह ढलानों की स्थिति, भूमि-उपयोग और हमारी तैयारी पर भी निर्भर करता है। ढलानों की अंधाधुंध कटाई, हरियाली का कम होना, बेतरतीब निर्माण, नदी-खड्डों के रास्ते रोकना और खराब जल निकासी- जोखिम को आपदा में बदलने के लिए इतना काफी है। इसलिए संकट सिर्फ बारिश का नहीं, हमारी तैयारी और विकास के तौर-तरीकों का भी है। वर्ष 2026 के मानसून में हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 12 सितंबर को उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं से करीब 1684 करोड़ रुपए का नुकसान और 120 लोगों की मौत हो चुकी थी। पिछले सालों की आपदाएं भी यही बताती हैं कि नुकसान सिर्फ मौसम से नहीं बढ़ता।

खरते वाली जगहों पर बस्तियां बढ़ना और हमारी तैयारियों की कमी भी नुकसान को बड़ा करती है। लाहौल के कड़ू नाला में पहाड़ी दरकने से 13 यात्रियों की जान गई, तो कई जगह खड्डों-नालों के उफान ने घरों और सड़कों को तोड़ दिया। सड़कें विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन पहाड़ काटते समय ढलान की मजबूती, पानी की निकासी और मलबे को ठिकाने लगाने की बात भूल जाएं तो कीमत भारी पड़ती है। कटान का मलबा जब खड्डों और नदियों में गिरता है, तो उनका बहाव और तल दोनों बिगड़ते हैं। परवाणू से कैथलीघाट तक फोरलेन के लिए काटी गई पहाड़ि़ं का मलबा कौशल्या खड्डू को प्रभावित कर रहा है। बरसात में मलबे और तेज बहाव की यह स्थिति आसपास की सड़कों और बस्तियों के लिए जोखिम बढ़ाती है। जलविद्युत और दूसरी परियोजनाओं में भी पहाड़ के भूगोल और सुरक्षा को पहले रखना होगा। बात विकास रोकने की नहीं, उसे पहाड़ की प्रकृति के मुताबिक ढालने की है। हिमाचल की 2023 की बाढ़ पर 2025 में ऑल अर्थ में प्रकाशित एक अध्ययन ने भी दिखाया कि तबाही को केवल बारिश से समझना पर्याप्त नहीं है। अध्ययन के सांख्यिकीय मॉडल में वर्षा

की तीव्रता और वनस्पति क्षरण जैसे कारकों ने बाढ़ की गंभीरता में देखी गई करीब 85 प्रतिशत भिन्नता को समझाने में योगदान दिया। यह 85 प्रतिशत नुकसान को मानवजनित बताने वाला आंकड़ा नहीं है।

इसका संकेत इतना भर है कि बारिश प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन उसकी मारक क्षमता जमीन, जंगल और ढलानों की स्थिति से भी तय होती है। सितंबर के अंतरराष्ट्रीय दिवस भी इसी सवाल की अलग-अलग तस्वीर दिखाते हैं। 20 सितंबर का विश्व क्लीनअप दिवस पहाड़ों में बढ़ते कचरे की चुनौती की याद दिलाता है, जबकि 27 सितंबर का विश्व पर्यटन दिवस उस अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान खींचता है, जिसकी हिमाचल में बड़ी भूमिका है। सवाल यह है कि पर्यटन बढ़े, लेकिन उसकी कीमत पहाड़ को न चुकानी पड़े। हिमाचल की रीढ़ कहे जाने वाला पर्यटन ही यहां लाखों लोगों के रोजगार और कमाई का मुख्य सहारा है। लेकिन किसी शांत घाटी में पर्यटक बढ़ें और पानी, पार्किंग, सीवरेज, कचरा, सड़क जैसी सुविधाएं न बढ़ें, तब पर्यटन रोजगार का अवसर होने के बजाय स्थानीय संसाधनों पर बोझ बढ़ाने लगता है। मनाली से अटल टनल तक और कसोल-तीर्थन घाटी में बढ़ते निर्माण और मलबे की समस्या संकेत देती है कि जब पर्यटन स्थानीय वहन क्षमता से आगे निकलता है, तो रोजगार के साथ पर्यावरणीय और आपदा संबंधी जोखिम भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए अब हिमाचल को यह तय करना होगा कि किसी घाटी, कस्बे या नदी के लिए कितनी सड़क, कितने होटल, कितनी गाड़ियां, कितने पर्यटक और कितना निर्माण सुरक्षित है। इसका जवाब सिर्फ बाजार या इंजीनियरिंग नहीं दे सकती, पहाड़ की अपनी प्राकृतिक सीमाएं भी इसे तय करेंगी। यही बात कचरे पर भी लागू होती है। कचरा भी पहाड़ की वहन-क्षमता की परीक्षा है। पर्यटन स्थलों का प्लास्टिक और कचरा नदियों, खड्डों और खेतों तक पहुंचता है। इसलिए सड़क, होटल और पर्यटकों की संख्या तय करते समय कचरा प्रबंधन की क्षमता भी देखनी होगी।

जरूरी है कि जलस्रोतों पर कब्जा रोका जाए, संवेदनशील ढलानों की पहचान हो, मलबा फेंकने के नियम सख्ती से लागू हों और नदी-खड्डों का प्राकृतिक दायरा सुरक्षित रखा जाए। पंचायतों और स्थानीय समुदायों को निगरानी में असली भूमिका मिले, क्योंकि पहाड़ की नब्ज वही बेहतर समझता है जो पीढ़ियों से उसके साथ जी रहा है। आपदा से पहले तैयारी, वैज्ञानिक भू-उपयोग योजना और निर्माण नियमों का प्रभावी अनुपालन ही आपदा के जोखिम को कम कर सकता है। राहत और मुआवजा जरूरी हैं, पर वे स्थायी हल नहीं। हिमाचल को ऐसा विकास चाहिए जिसमें सड़क भी बने, रोजगार भी मिले, पर्यटन भी बढ़े और पहाड़ भी सलामत रहे। रफ्तार जरूरी है, पर दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है। हिमालय सिर्फ सैरगाह नहीं, जीवन की डोर है। सवाल यह नहीं कि पहाड़ विकास के साथ चलेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम विकास को पहाड़ की मर्यादों में चलाना सीखेंगे?

विशेष स्कीम पर भारतवंशियों को भरोसा

डा. अश्विनी महाजन

वर्ष 2013 में भी जब देश विदेशी मुद्रा भंडार संकट से गुजर रहा था, भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग इसी प्रकार की विशेष स्वैप स्कीम के माध्यम से मात्र 85 दिनों में ही 34.3 अरब डॉलर जुटाए थे, जिनमें 26 अरब डॉलर एफसीएनआर के माध्यम से आए थे। आठ जून से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विशेष स्वैप स्कीम की शुरुआत की और बैंकों को यह सुविधा दी कि इस स्कीम के तहत भारतवंशी यानी विदेश में भारतीय मूल के लोगों द्वारा भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्रा जमा (3 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिए) को वर्तमान मूल्य से रिजर्व बैंक से स्वैप कर पाएंगे। यानी जिस मूल्य पर आज बैंक रिजर्व बैंक के पास जमा करेंगे, परिपक्व होने पर उसी मूल्य पर वे रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर पाएंगे। इस स्कीम से प्रोत्साहित होकर बैंकों ने भारतवंशियों की जमाएं 6 से 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर स्वीकार की, जिन पर पूर्व में केवल तीन से चार प्रतिशत ही ब्याज दिया जाता था। इसका कारण यह था कि रुपए में डॉलर के मूल्य बढ़े? के जोखिम के लिए बैंकों को पहले हेजिंग करवानी पड़ती थी। हेजिंग की लागत समय-समय पर बदलती रही है, लेकिन वर्तमान समय में यह तीन प्रतिशत के आसपास है। इन विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खातों पर अधिक ब्याज और दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकार और बैंकों पर भरोसा, इन सभी कारणों से भारतवंशियों ने मात्र 3 महीने से भी कम समय में 127.2 अरब डॉलर जमा कर इतिहास रचा है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में भी लगभग इसी प्रकार की स्कीम के अंतर्गत मात्र 34.3 अरब डॉलर एकत्र हुए थे, जिनमें 26 अरब डॉलर एफसीएनआर के रूप में प्राप्त हुए। 2013 में यह स्कीम 85 दिनों तक खुली रही थी और 2026 की स्कीम भी 85 दिन चली, लेकिन इन 85 दिनों में एफसीएनआर खातों में कुल जमा 127.2 अरब डॉलर प्राप्त हुए, जबकि कुल प्राप्तियां 136.4 अरब डॉलर की रही हैं। आलोचकों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को हेजिंग लागत से मुक्त कर, वह भार स्वयं पर ले लिया है। जिसका खा미याजा रिजर्व बैंक को भविष्य में भुगतना पड़ेगा और जब ये जमाएं परिपक्व होंगी और डॉलर का मूल्य रुपयों में अधिक होगा तो नुकसान रिजर्व बैंक के लाभों को कम कर देगा। फलस्वरूप रिजर्व बैंक के लाभ कम होने से भारत सरकार की प्राप्तियां घट जाएंगी, जिससे बजट असंतुलन हो जाएगा। क्यों सही नहीं हैं आलोचकों के तर्क : लोकतंत्र में नीतियों पर बहस एक स्वस्थ परंपरा है, लेकिन आलोचकों के तर्कों की सत्यता की

आरबीआई पर आने वाली लागत का मुद्दा है। आलोचक मान रहे हैं कि चूंकि आरबीआई की स्पेशल स्वैप व्यवस्था के तहत बैंकों को हेजिंग की लागत नहीं उठानी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि हेजिंग की लागत अब आरबीआई को उठानी पड़ेगी, जो असल में सही नहीं है। सच तो यह है कि ये डिपॉजिट विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) बढ़ाने में मदद करेंगे, जो आरबीआई के पास रहेगा, जिसे यदि अमरीकी फेडरल रिजर्व में जमा किया जाएगा तो उस पर 5 से 6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।



पड़ताल भी उतनी ही जरूरी है, ताकि नीतियों को सही दिशा दी जा सके। रिजर्व बैंक की विशेष स्वैप स्कीम के लाभों पर चर्चा भी जरूरी है। फिर यह देखना होगा कि भविष्य में रिजर्व बैंक को इससे जिस संभावित नुकसान की चिंता की जा रही है, उसकी तुलना में इस योजना से कितना लाभ देश को होगा। पूर्व में भी ऐसी स्कीम हुई थी सफल : वर्ष 2013 में भी जब देश विदेशी मुद्रा भंडार संकट से गुजर रहा था, भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग इसी प्रकार की विशेष स्वैप स्कीम के माध्यम से मात्र 85 दिनों में ही 34.3 अरब डॉलर जुटाए थे, जिनमें 26 अरब डॉलर एफसीएनआर के माध्यम से आए थे। उस समय विदेशी विनिमय में भयंकर अनिश्चितता का माहौल था। इस स्कीम से पहले सामान्यतः करेंसी का जोखिम बैंकों को उठाना पड़ता था, इसलिए वे एफसीएनआर पर अत्यंत सीमित ब्याज दे पाते थे। 2013 की स्कीम के तहत रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह गारंटी दी थी कि भविष्य में जब भी यह जमा 3 से 5 वर्ष के बीच परिपक्व होगी, रिजर्व बैंक उनसे 3.5 प्रतिशत वार्षिक ही वसूलेगा। इससे

प्रोत्साहित होकर बैंकों ने ज्यादा ब्याज देकर एफसीएनआर जमाई बढ़ाने का प्रयास किया। वर्ष 2013-14 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह स्वीकार किया था कि इस विशेष स्वैप स्कीम के तहत विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े? से रुपए की स्थिरता प्राप्त हुई। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में सितंबर माह (जब यह स्कीम शुरू हुई थी) से पहले रुपए में तेजी से अवमूल्यन हो रहा था और अप्रैल 2013 से अगस्त तक रुपए का 16.2 प्रतिशत अवमूल्यन हो चुका था। लेकिन इस स्कीम और अन्य उपायों के फलस्वरूप विदेशी परिस्थितियों के बावजूद सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच रुपया 9.7 प्रतिशत मजबूत हुआ और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार, जो अगस्त तक 275.5 अरब डालर था, जनवरी 2014 तक वो 292.1 अरब डालर तक पहुंच गया। समझना होगा कि 2013 की विशेष स्वैप स्कीम के कारण रुपए में मजबूती के फलस्वरूप भारत का पेट्रोलियम तेल और सोने की आयात लागत घटी। सरकारों और विदेशी ऋणों की अदायगी में लाभ हुआ, आयातित मुद्रास्फीति पर अंकुश लगा। विदेशों से पूंजी

सस्ती हुई और चालू खाते पर दबाव घटा। इसलिए जो लोग रिजर्व बैंक द्वारा गारंटीशुदा कम स्वैप लागत की आलोचना कर रहे थे, उनके तर्क असत्य साबित हुए। और यदि रिजर्व बैंक द्वारा इस स्वैप स्कीम पर खर्च की तुलना, इस स्कीम के कारण देश पर आए विदेशी मुद्रा संकट से निजात, और देश को भारी लाभ से करें तो यह योजना लाभकारी ही मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे दुनिया की 5 सर्वाधिक कमजोर अर्थव्यवस्था में माना जा रहा था, उसे विदेशी मुद्रा संकट से बचाने में इस स्कीम की महती भूमिका रही।

वर्तमान विशेष स्वैप स्कीम और उसके फायदे : सर्वप्रथम, इससे रुपया मजबूती की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान स्वैप स्कीम ऐसे समय में लाई गई जब विदेशी संस्थागत निवेश का लगातार बिकवाली कर सरकार द्वारा दबाव बना रहे थे कि उन्हें करों में रियायत दी जाए। सरकार को मजबूरी में कुछ रियायत देनी भी पड़ी थी। यही नहीं, युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, तेल की बढ़ती कीमतों और अन्य वैश्विक कारणों से हमारा विदेशी व्यापार संतुलन बिगड़ रहा था, उस समय हमारा भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा था और वह 1 जनवरी 2026 में 89.50 रुपए प्रति डॉलर से कमजोर होते हुए 20 मार्च 2026 तक 96.96 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच चुका था। ऐसे में रुपए को स्थिरता से बचाने के लिए रिजर्व बैंक को भारी मात्रा में डॉलर बेचने पड़ रहे थे, जिनके कारण भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट मंड़राने लगा था।

उन परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ने विशेष स्वैप स्कीम के तहत 136.4 अरब डॉलर की प्राप्तियां, जिनमें 127.2 अरब डॉलर केवल एफसीएनआर बैंक जमा से मिले, डालरों के इस भारी अंतरप्रवाह के कारण, इस स्कीम के प्रारंभ से ही रुपया मजबूत होने लगा था। 5 सितंबर 2026 तक आते-आते यह 94.49 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच चुका था। मजबूत रुपए के स्वाभाविक लाभों के बारे में कोई संदेह नहीं है। दूसरे, ऐतिहासिक रूप से एफसीएनआर डिपॉजिट में एफपीआई निवेश की तरह उतार-चढ़ाव (वोलैटिलिटी) बहुत कम देखा जाता है। समझ से परे है कि जब आलोचकों को एफपीआई को ब्याज और कैपिटल गेन पर टैक्स छूट के रूप में लगातार फायदा देने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो वे एफसीएनआर-बी को दी गई रियायतों को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं?

यादव ने जानकारी दी कि आदित्य भट्टौरिया और रॉबिन शर्मा पार्टनरशिप में इस वेयरहाउस का संचालन करते हैं, जो महज 15 दिन पहले ही शुरू किया गया था। इस वेयरहाउस में ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग का काम होता है। शिक्षायत के आधार पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवा लिया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ गैररप व जान से मारने की धमकी की धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से वीसी द्वारा की वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर की चर्चा

375 अनुमेय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का करें चयन: उप मुख्यमंत्री

■ एक सत बुलेटिन, रायपुर

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से वीसी द्वारा की वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर की चर्चाविकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों से संवाद किया। बैठक में योजनांतर्गत जिलों में स्वीकृत कार्यों, प्रगति तथा योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से बारी-बारी संवाद करते हुए योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा उनके सुझाव और जमीनी स्तर पर आ रही कठिनाइयों को जाना। उन्होंने सभी को वीबी-जीरामजी के अंतर्गत अब 375 प्रकार के अनुमय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का चयन एवं स्वीकृति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में पर्याप्त संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए हैं, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम सभा के माध्यम



से नए कार्य भी लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना में मजदूरी एवं सामग्री का 60रू40 अनुपात बनाए रखते हुए तथा जल संरक्षण से संबंधित कम से कम 30 प्रतिशत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्राम सभाएं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य स्वीकृत कर सकती हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से योजना का लाभ ग्रामीणों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन करने पर जोर दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा ने पंचायतों में स्वीकृत कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि

कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जिससे निर्माण कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। आयुक्त, विकसित भारतदृजीरामजी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला पंचायत सदस्यों के योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा तकनीकी समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों तथा किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खेत सड़क और धरसा को भी अनुमय कार्यों में शामिल किया गया है। प्रदेश में बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड तथा डिफेंडेंट बोरवेल रिचार्ज जैसे कार्यों को

प्राथमिकता से लिया जा रहा है। ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इन कार्यों का चयन कर सकती हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) से संबंधित भारत सरकार का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की प्रक्रिया में है। वहीं मनरेगा के शेष लंबित भुगतान के संबंध में भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है।वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रथम चरण में 175 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें कार्यक्रम अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं लेखापाल के पद शामिल हैं तथा भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इसके अतिरिक्त बस्तर, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में 63 रोजगार सहायक पदों पर भर्ती की अनुमति भी प्रदान की गई है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपने सुझाव साझा किए तथा मैदानी स्तर पर आ रही विभिन्न कठिनाइयों से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं को आवश्यक कार्रवाई हेतु संकलित किया गया है।

पत्नी के निधन के बाद परिवार पर आया संकट, संबल योजना ने दिया सहारा



■ एक सत बुलेटिन, भिण्ड

घर के किसी सदस्य का निधन किसी भी परिवार के लिए गहरा आघात होता है, लेकिन जब परिवार की देखभाल का मुख्य सहारा भी वही व्यक्ति हो, तो परिस्थितियां और कठिन हो जाती हैं। भिण्ड जिले के नगर परिषद मौ के वार्ड नंबर-03 लौहरपुरा निवासी श्री महेश यादव के परिवार के सामने भी कुछ ऐसी ही स्थिति उस समय उत्पन्न हुई, जब उनकी पत्नी का दिनांक 25 अप्रैल 2026 में निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद घर-परिवार की देखभाल की जिम्मेदारियां निभाना उनके लिए चुनौती बन गया। परिवार और बच्चों को वक्त देने के कारण कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, जिससे आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा

था।आर्थिक संकट के इस दौर में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना उनके परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत श्री महेश यादव को जन विश्वास अभियान अंतर्गत आयोजित शिविर में अनुग्रह सहायता राशि दिए जाने हेतु स्वीकृति पत्र तैयार कर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला के हाथों प्रदान किया गया।सबल योजना अंतर्गत मिलने वाली अनुग्रह सहायता से परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने और निपरीत परिस्थितियों से उबरने में मदद मिलेगी।

करोड़ों की लागत से बन रहा बरही कॉलेज का भवन सवालों के घेरे में वर्षों से कछुए की चाल चल रहा निर्माण



■ एक सत बुलेटिन, बरही/कटनी।

शासकीय महाविद्यालय बरही में छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए करोड़ों रुपये की लागत से कराया जा रहा अतिरिक्त भवन निर्माण अब अपनी धीमी रफ्तार और निर्माण व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य के बावजूद भवन का काम पूरा नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों का आरोप है कि निर्माण की गति के साथ-साथ गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बरही महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण अतिरिक्त कक्षों और भवन की मांग लंबे समय से उठती रही थी। विद्यार्थियों की ओर से आंदोलन और महाविद्यालय प्रबंधन के पत्राचार के बाद इस दिशा में पहल हुई।

क्षेत्रीय लोगों ने भी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के समक्ष महाविद्यालय की भवन संबंधी समस्या रखी थी, जिसके बाद अतिरिक्त भवन निर्माण का रास्ता साफ हुआ। उम्मीद थी कि नया भवन बनने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति ने अब पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत से होने वाले

किसी भी शासकीय निर्माण में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। निर्माण स्थल पर कार्य से संबंधित जानकारी देने वाला सूचना बोर्ड तक दिखाई नहीं देने की बात सामने आ रही है। सामान्य तौर पर ऐसे बोर्ड पर स्वीकृत लागत, निर्माण एजेंसी, कार्य प्रारंभ और पूर्ण होने की अवधि, योजना अथवा मद, संबंधित विभाग तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी दर्ज रहती है। ऐसे में निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड का न होना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच और तकनीकी निगरानी की व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि निर्माण में इस्तेमाल सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं, इसकी वास्तविक पुष्टि सक्षम तकनीकी अधिकारियों की जांच के बाद ही हो सकती है। ऐसे में मांग उठ रही है कि भवन निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पूर्व में निर्माण स्थल से सामने आई तस्वीरों को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में निर्माण कार्य में निधारीत तकनीकी प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां सामने आई थीं।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 87वीं बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 87वीं मंडल सम्मिलन बैठक मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश में आवासीय एवं व्यावसायिक सुविधाओं के विस्तार, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने, भवनों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने तथा हितग्राहियों को राहत देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए चिन्हित भूमि के उपयोग की प्रक्रिया को मंजूरी मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में मंडल की चिन्हित एवं स्वामित्व वाली भूमियों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों के डिजाइन, वित्त पोषण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था के लिए लाइसेंस फीस मॉडल के तहत एजेंसी को भूमि उपयोग का अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। प्रमुख क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनों का वितरण किया गया, आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ाया कदम

■ एक सत बुलेटिन, कटनी।

सतगुरु बाबा माधवशाह सेवा मंडल द्वारा ‘मानव सेवा ही सच्चा धर्म’ के संकल्प को साकार करते हुए निराश्रित एवं जरूरतमंद परिवारों की सेवा का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सेवा श्रृंखला के तहत जरूरतमंद माताओं-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सैकड़ों सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। बाबा माधवशाह भवन में आयोजित कार्यक्रम में जीवन मुक्त सतगुरु साईं ईश्वरशाह साहिब जी के पावन कर-कमलों से जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें प्रदान की गईं। सिलाई मशीन मिलने से महिलाओं को अपने हुनर को रोजगार से जोड़ने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। सेवा मंडल द्वारा लंबे समय से जरूरतमंद एवं निराश्रित परिवारों के लिए विभिन्न सेवा गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।



सतगुरु बाबा नारायणशाह साहिब जी द्वारा वर्ष 1960 में रोपा गया सेवा का बीज आज जीवन मुक्त सतगुरु साईं ईश्वरशाह साहिब जी की प्रेरणा से विशाल लक्ष्य का रूप ले चुका है। सेवा मंडल के माध्यम से प्रतिमाह 200 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राशन एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, दिव्यांग सेवा सहित

विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यों के माध्यम से जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान सतगुरु साईं ईश्वरशाह साहिब जी ने मानव सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जरूरतमंदों के दुख-दर्द को समझना और उनके जीवन में खुशियां लाना ही सच्ची सेवा है। दूसरों के दुखों पर मरहम लगाने से मनुष्य को जीवन में शांति और सुख की अनुभूति होती है। जरूरतमंदों की सेवा से मिलने वाली दुआएं अनमोल होती हैं। उन्होंने कहा कि सतगुरु साहिबानों की कृपा और सेवा की परंपरा से समाज के उत्थान का यह कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है।

फ्लैगशिप योजनाओं में लापरवाही पर निगमायुक्त सख्त

अवैध कॉलोनाइजरों पर एफआईआर और रात्रिकालीन सफाई के निर्देश

■ एक सत बुलेटिन, कटनी।

नगर पालिक निगम कटनी के एमआईसी सभाकक्ष में सोमवार को समय-सीमा (टीएल) प्रकरणों की समीक्षा बैठक निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निगमायुक्त ने शासन की फ्लैगशिप योजनाओं, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही तथा अनावश्यक देरी पर सख्त रुख अपनाने हुए अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशन, जनकल्याणकारी योजनाओं और नागरिकों की शिकायतों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटया जाए। फोटो वाली स्टाइल में: बैठक के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते

हुए निगमायुक्त ने मुख्य बाजारों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। दुकानदारों और व्यावसायिक संस्थानों के बाहर डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखवाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध न्यमानुसार कार्रवाई करने को कहा। बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने और कर्मचारियों की उपस्थिति की प्रतिदिन निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। राजस्व विभाग की समीक्षा में नामांतरण से जुड़े सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत ऑनलाइन और निर्धारित समय में निराकरण करने पर जोर दिया गया। राजस्व वसूली की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए निगमायुक्त ने दैनिक लक्ष्य के अनुरूप वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं सेवा



संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता गतिविधियों को

व्यापक स्तर पर संचालित करने को कहा गया। बैठक में सीवरेज, पेयजल आपूर्ति, डेयरी

विस्थापन, सब्जी मंडी, मीट मार्केट और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जैसी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने डीपीआर, एनओसी, सक्षम स्वीकृति, निविदा, दर स्वीकृति और अनुबंध सहित सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि प्रक्रियागत देरी के कारण किसी भी विकास कार्य की गति प्रभावित न हो। अवैध कॉलोनियों के मामलों में निगमायुक्त ने शेष प्रकरणों में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। कॉचिंग संस्थानों, निजी अस्पतालों, होटलों और मॉल्स में फायर सेफ्टी ऑडिट की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताते हुए संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी करने तथा सुरक्षा मानकों की जांच में तेजी लाने को कहा गया। नियमों के विपरीत निर्मित भवनों में नियमानुसार कम्पाउंडिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

RNI- MPHIN/2018/76807/ E-mail-eksatbulletin@gmail.com, डाक पंजीयन नंबर MP/BHOPAL/4-501/2020-22, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें- फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9691653088